न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

फर्द अहकाम

नाथूलाल बनाम बजरंगलाल

मिसल नं0 2024/105

किस्म मुकदमा:– रेस्टो0/बून्दी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुये
14/10/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। वकील अपीलांट की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत ऑर्डर 41 रूल 19 जा0 दी0 वास्ते अपील को पुनः नम्बर पर लेने हेतु पेश कर कथन किया कि उक्त अपील दिनांक 18.04.2024 को अपीलांट की अदम हाजरी में खारिज फरमा दी गयी है। दिनांक 18.04.2024 को तापमान अत्यधिक 42 से अधिक था तथा अपीलांट 80 वर्ष से अधिक आयु का वृद्ध है जो तापमान अधिक होने से न्यायालय में हाजिर नहीं हो सका तथा अपीलांट के वकील अन्य न्यायालय में अन्य प्रकरण में लम्बी बहस होने की वजह से आवाज लगने पर हाजिर नही हो सके थे। अपीलांट जानबूझकर न्यायालय से गैर हाजिर नहीं रहा है अपितु अत्यधिक गर्मी होने एवं वृद्धावस्था होने के कारण हाजिर नही हो सका था। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को पूनः नम्बर पर लिया जाकर गुणावगुण पर सुनवाई किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को निराधार व गलत बताते हुए कथन किया कि अपीलांट व अधिवक्ता अपीलांट को प्रश्नगत अपील की जानकारी थी तथा वह जानबूझकर न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय द्वारा अपीलांट व उनके अधिवक्ता के जानबूझकर उपस्थित नहीं होने से प्रश्नगत अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में विधि सम्मत रूप से खारिज की गई है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत रेस्टोरेशन अपील स्वीकार योग्य नहीं है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत रेस्टोरेशन अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया। हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रश्नगत अपील दिनांक 18.04.2024 को अदम हाजरी में खारिज फरमा दी गयी है। जिसके बाद दिनांक 20.05.2024 को अपीलांट ने उक्त प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया है। हमारे मत में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार प्रकरण का	

गुणावगुण पर निर्णय किया जाकर एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर ही न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र रेस्टोरेशन अपील स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत अपील पुनः नम्बर पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते रेस्टोरेशन अपील स्वीकार किया जाता है। न्यायालय हाजा की अपील संख्या 2023/128 को पुनः नम्बर पर लिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मूल अपील की पत्रावली के साथ संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 14.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/X/24

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा